न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 01 / 2019
प्रकरण दर्ज तिथि :— 19.02.2019

संशोधित आदेश

दिनांक :- 13/07/2022

न्यायालय हाजा की पत्रावली राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2019 (राजस्व भू राजस्व अधिनियम धारा 136) अनवान सोहनलाल बनाम तहसीलदार, दिनांक 28.11.2019 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णित की गई थी।

उक्त पत्रावली में प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने बताया कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2019 जो दिनांक 28.11.2019 को निर्णित हुई हैं, जिसमें लिपिकीय भूलवश से निर्णय में सरहद मौजा सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा नं 501 की जगह 201 कर दिया हैं। लिपिकीय भूलवश को सुधारा जाकर खसरा नं 201 की जगह 501 कर संशोधित आदेश करवाने का निवेदन किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन करने पाया कि वादपत्र में सरहद मौजा सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा संख्या 500 व 501 रकबा क्रमशः 40 बीघा 10 बिस्वा, 19 बीघा 04 बिस्वा अंकित हैं। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज में भी सरहद मौजा सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा संख्या 500 व 501 रक़बा क्रमशः 40 बीघा 10 बिस्वा, 19 बीघा 04 बिस्वा ही हैं। जबकि निर्णय में सरहद मौजा सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा संख्या 500 व 201 रकबा क्रमशः 40 बीघा 10 बिस्वा, 19 बीघा 04 बिस्वा अंकित हैं।

पत्रावली, रेकर्ड के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत स्वीकार किया गया तथा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2019, सोहनलाल बनाम तहसीलदार वगैरह में निर्णय दिनांक 28.11.2019 में खसरा संख्या 501 के स्थान पर 201 लिखा गया हैं, जो सहवंश से लिपिकीय त्रुटि हुई हैं। इसीलिए उक्त पत्रावली में सरहद मौजा सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा संख्या 201 के स्थान पर खसरा संख्या 501 संशोधित करने के आदेश दिये जाते हैं। यह संशोधित आदेश पूर्व में निर्णित पत्रावली संख्या 01 / 2019 का एक भाग होगा, जो मूल पत्रावली में संलग्न हों। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु तहरीर के साथ जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 13/07/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)